₹2
UTTARAKHAND COURT FEE
UKCT25063612111L
25-SEP-2021

(324)

न्यायालय वक्फ ट्रिब्यूनल (जिला जज) देहरादून

वाद सं0–752/2003

रफीक अहमद इत्यादि बनाम् वेंकट पुण्डीर इत्यादि

<u>प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश–23 नियम–3 जाप्ता दी.प्र.सं.</u>

श्रीमानजी,

सेवा में निवेदन है कि उक्त वाद में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण सं0–1, 2 व 3 के विरूद्ध वाद <u>स्थायी निषेधाज्ञा हेतु इस</u> बावत दायर किया गया है कि प्रतिवादी सं0–1, 2 व 3 वादग्रस्त सम्पत्ति खसरा न0–904, 905 व 907 स्थित ग्राम कांवली, जिला देहरादून पर वादीगण के अध्यासन तथा उसके उपयोग इत्यादि के सम्बन्ध में किसी प्रकार हस्तक्षेप न करें तथा इसी सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार विक्रय आदि करने के उद्देश्य से उसके टुकड़े न करें तथा किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य न करें और न ही वादीगण के कब्जे व दखल में किसी प्रकार हस्तक्षेप करें जैसा कि वादीगण द्वारा उक्त वाद में वर्णित किया गया है।

उक्त वाद में वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं0–4 व 5 को केवल औपचारिक पक्षकार के रूप में प्रतिवादी बनाया गया है जिनके विरूद्ध वादीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई पारिणामिक अनुतोष की प्रार्थना

Venkat Pundeer

भी इस वाद में नहीं की गयी है और न ही प्रतिवादी सं0—4 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 26.03.2003 जिसका वर्णन वाद पत्र के अनुतोष—(अ) के प्रथम भाग में किया गया है उससे न ही इस वाद में किसी भी पक्षकार को कोई अधिकार प्राप्त होते हैं और न ही किसी भी पक्षकार के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ता है। अतः प्रतिवादी सं0—4 व 5 के विरूद्ध किसी भी प्रकार के कोई अनुतोष के लिए भी वाद पत्र में उनके विरूद्ध कोई याचना न किये जाने के कारण प्रतिवादी सं0—4 व 5 को वाद पत्र से निष्कासित किये जाने अथवा प्रतिवादी सं0—4 व 5 के वाद पत्र में विद्यमान रहने की सूरत में भी मुख्य प्रतिवादी सं0—1, 2 व 3 तथा वादीगण व कन्टेस्टिंग पक्षकारान यानि जिनके विरूद्ध वाद पत्र में अनुतोष चाहा गया गया है के मध्य उक्त वाद में समझौता व तसफिया होने की सूरत में किसी भी प्रतिवादी सं0—1 लगायत 5 के अधिकारों पर किसी प्रकार भी कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने के कारण पक्षकारान यानि वादीगण तथा प्रतिवादीगण सं0—1, 2 व 3 के मध्य इस वाद में आपसी समझौता/तसफिया हो गया है जिसमें औपचारिक प्रतिवादीगण सं0—4 व 5 को किसी प्रकार की आपत्ति करने का भी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। ज्ञात हो कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है जैसा कि

(323)

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है तथा दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा–89 के अर्न्तगत भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित है कि मा0 न्यायालय पक्षकारान के मध्य वादों का निस्तारण शीघ्रतः–शीघ्र समझौते के आधार पर निस्तारण करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु आदेशित किया गया है। ज्ञात हो कि उक्त तथ्यों के परिपेक्ष व सन्दर्भ में प्रतिवादी सं0–4 व 5 के नाम हटाये जाने में भी वाद पत्र में वांछित अनुतोष में किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

चूंकि उक्त वाद में वादीगण व प्रतिवादी सं0–1, 2 व 3 के मध्य वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में शान्तिपूर्वक निम्नलिखित आधारों पर तसफिया/समझौता हो गया है तथा वादग्रस्त सम्पत्ति को वाद स्थल के अनुसार मानचित्र तैयार करके वादीगण व प्रतिवादी सं0–1, 2 व 3 के मध्य जो आराजी समझौते के आधार पर तय होकर अपने–अपने भाग का अध्यासन प्राप्त हो चुका है उनको मानचित्र में अलग–अलग रंग से प्रदर्शित करते हुये इस प्रकार का समझौता हो चुका है कि कुल आराजी खसरा नं0–904 रकबा 2.91डि0, खसरा नं0–905 रकबा 1.53डि0 व खसरा नं0–907/3 रकबा 1.90डि0 कुल रकबा 6.34डि0 33.36 बीघा है उसमें से जो भाग आपसी समझौते के आधार पर वादीगण को खसरा नं0–904 में वादीगण व प्रतिवादी सं0–1, 2 व 3

में यह तय पाया गया कि मौके पर एक बुनियाद का काफी लम्बा निशान मौजूद है। इस निशान से आगे उत्तर की ओर 118 फुट दूरी तक रकबा 3819.2 वर्गमीटर अर्थात् 05 बीघा अर्थात् 0.94डि0 अर्थात् 0.3819 है0, खसरा नं0–905 रकबा 6196.5 वर्गमीटर अर्थात् 8.04 बीघा अर्थात् 1.53डि0 अर्थात् 0.6196 है0 व खसरा नं0–907/3 रकबा 5390 वर्गमीटर अर्थात् 07 बीघा अर्थात् 1.33डि0 अर्थात् 0.5390 है0 कुल रकबा 20 बीघा अर्थात् 1.5400 है0 अर्थात् 3.80डि0 स्थित मौजा कांवली, परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून उत्तराखण्ड (दोनों भागों के मध्य मौके पर खुंटे गाड़ दिये है) प्राप्त होकर वादीगण के अध्यासन में आयी है उसको मानचित्र में हरे रंग से प्रदर्शित कर दिया गया है जिसके पूरब में– कब्रिस्तान का दूसरा भाग खसरा नं0–750, 906, 908 व 930 तथा ग्राम कांवली से आने वाला रास्ता पश्चिम में सड़क, उत्तर में– खसरा नं0–904 व 907/3 की शेष भूमि जो प्रथमपक्ष के पास रहेगी, तथा दक्षिण में– सड़क। बकिया आराजी खसरा नं0–904 रकबा 7966.3 वर्गमीटर अर्थात् 10.34 बीघा अर्थात् 1.96डि0 अर्थात् 0.7966 है0 व खसरा नं0–907/3 रकबा 2305 वर्गमीटर अर्थात् 2.99 बीघा अर्थात् 0.56डि0 अर्थात् 0.2305 है0 कुल रकबा 13.36 बीघा अर्थात् 10287.2 वर्गमीटर अर्थात् 2.54डि0 अर्थात्

Vyankat Pundeel

(322)

0.10287है0 स्थित मौजा कांवली, परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून उत्तराखण्ड भाग आपसी समझौते के आधार पर प्रतिवादीगण सं0–1, 2 व 3 को प्राप्त होकर अध्यासन में आयी है उसको लाल रंग से उक्त मानचित्र में प्रदर्शित कर दिया गया है जिसे प्रतिवादी सं0–1 व 2 आपस में आधा–आधा बांट लेंगे। तदानुसार यह समझौतानामा वादीगण सं0–1, 2 व 3 व प्रतिवादीगण सं0–1, 2 व 3 निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत किया जाता है :–

1. यह कि उक्त वादीगण अपनी 20 बीघा आराजी जो संलग्न मानचित्र में हरे रंग से दर्शायी गयी है तथा प्रतिवादीगण सं0–1, 2 व 3 को जो उक्त आराजी 13.36 बीघा जिसे संलग्न मानचित्र में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है पर दोनों पक्षकारान अपने–अपने भाग पर शान्तिपूर्वक अध्यासन बनाये रखेंगें और किसी भी पक्षकार को दूसरे पक्षकार को प्राप्त उक्त आराजी में किसी भी प्रकार का कोई अध्यासन अथवा हस्तक्षेप अथवा उसके उपभोग व उपयोग किये जाने पर किसी प्रकार हस्तक्षेप करने का अधिकार हरगिज न होगा। वादीगण व प्रतिवादीगण सं0–1, 2 व 3 अपनी–अपनी उक्त प्राप्त आराजी पर अपने–अपने खर्चे

पर चारदीवारी बनाने के अधिकारी होंगें तथा उक्त किसी भी पक्षकार को चारदीवारी का निर्माण करने में किसी भी प्रकार दूसरे पक्ष के उक्त कृत्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार न होगा।

2. यह कि उक्त प्राप्त हरे व लाल रंग से प्रदर्शित आराजी के सम्बन्ध में वादीगण तथा प्रतिवादीगण सं0–1, 2 व 3 को यह अधिकार होगा कि अपनी–अपनी प्राप्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में आवश्यक इन्द्राजात सम्बन्धित विभागों में प्राप्त सम्पत्ति के बारे में करा लें जिसमें किसी दूसरे पक्ष को हस्तक्षेप अथवा आपत्ति अथवा विरोध करने का कोई अधिकार हरगिज न होगा।

3. यह कि पक्षकारान यानि वादीगण सं0–1, 2 व 3 तथा प्रतिवादीगण सं0–1, 2 व 3 को उक्त प्राप्त आराजी जो हरे व लाल रंग से मानचित्र में प्रदर्शित की गयी है के उपभोग व उपयोग करने व कराने व किये जाने पर भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा विरोध करने का कोई अधिकार किसी भी पक्षकार को न होगा। ज्ञात हो कि वादीगण सं0–1, 2 व 3 को प्राप्त आराजी मुस्लिम आम कब्रिस्तान के रूप में जैसा कि पूर्व से उपभोग व उपयोग में लायी जा रही है वैसे ही इस समझौते के

बाद भी उपभोग व उपयोग में लायी जाती रहेगी जिसमें वादीगण सं0–1, 2 व 3 एवं प्रतिवादी सं0–1, 2 व 3 को किसी प्रकार हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार न होगा।

4. यह कि ज्ञात हो कि संलग्न मानचित्र इस समझौतानामे के अंश/भाग के रूप में इसी प्रकार रहेगा जिसमें किसी भी स्तर पर किसी भी पक्ष को कोई रद्दो–बदल करने का कोई अधिकार न होगा।

5. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं0–1, 2 व 3 अपना–अपना वाद व्यय वहन करेंगें।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त वाद उपरोक्त समझौतेनामे में उक्त लिखित तथ्यों, शरायत व संलग्न मानचित्र के आधार पर निर्णीत किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें तथा यह समझौतानामा संलग्न मानचित्र सहित डिक्री के भाग के रूप में बनाये जाने का आदेश पारित करने की कृपा की जावे।

दिनांकः–23.10.2021

वादीगण

MUSA KHAN
(Advocate)
5978/99

प्रतिवादीगण

Madhulika
Defne
28/10/21

IN THE WAQF TRIBUNAL/ DISTRICT JUDGE D. DUN.

CASE NO 752/2003

RAFEEQUE AHMAD & OTHER'S

V/S

VENKAT PUNDIR & OTHER'S

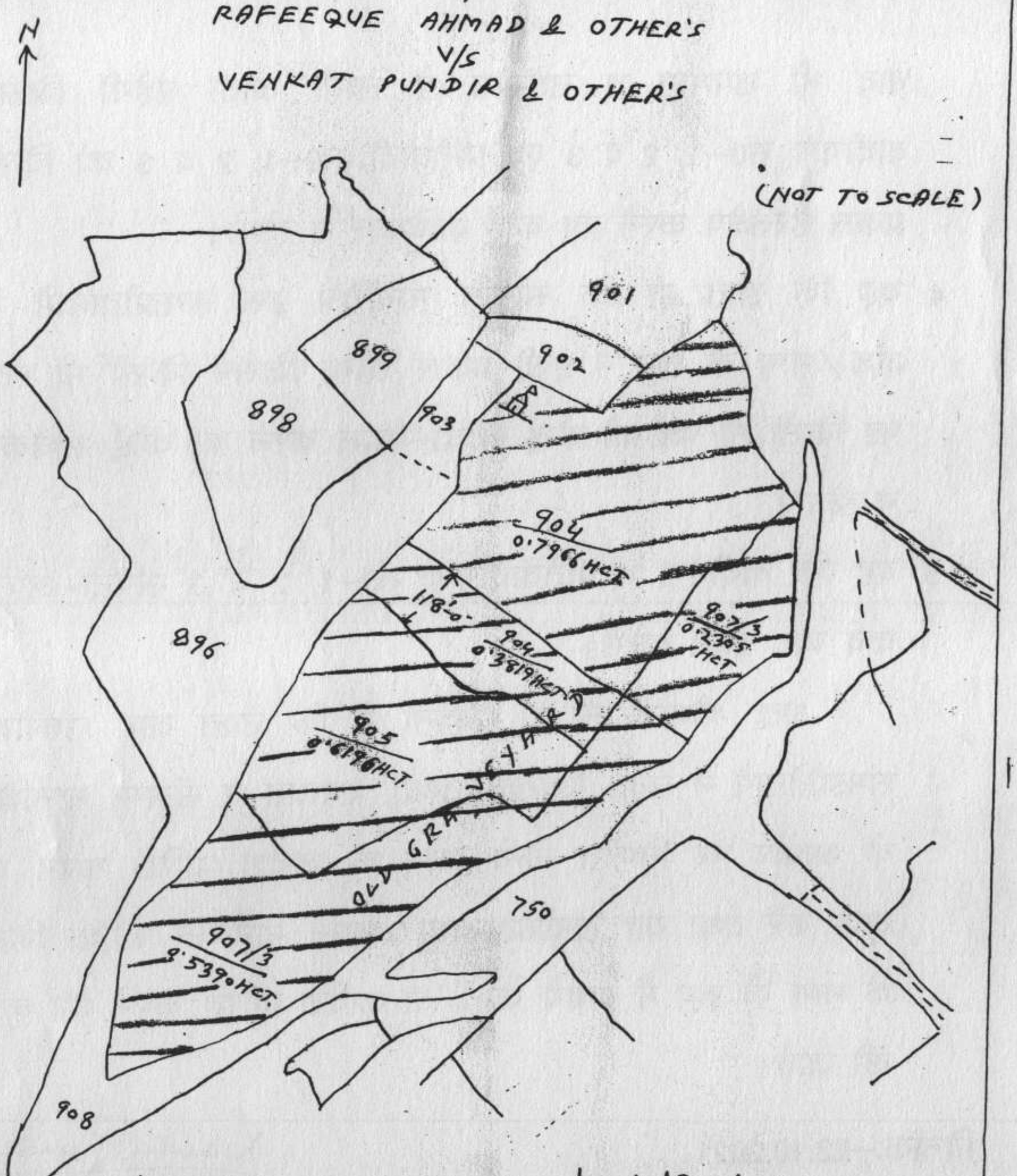

PLAINTIFF'S

DIFENDANT'S